न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी:–चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :–394 / 2017 प्रार्थना पत्र
श्री जर्नादनराय पिता उमाकांत आचार्य, उम्र बालिग निवासी घांगड़ास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

––––––प्रार्थी

बनाम

1–श्री भूरदास पिता मांगीलाल बैरागी, उम्र बालिग निवासी बतको का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (डिलिट किया गया)
2–श्री मांगीलाल पिता रूपा दरोगा, उम्र बालिग निवासी बतकों का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
3–श्रीमति कैलाश कंवर पत्नि रघुवीरसिंह राजपूत, उम्र बालिग निवासी बतकों का खेड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
4–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
5–शहजाद खान पिता बाबूखान मेव साह बोहरों की मजिस्द के पास, बाहला–भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

––––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः–6.3.2018

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बतकों का खेडा पटवार हल्का दांथल, भू–अभिलेख निरीक्षक दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1458 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 1 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2017 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 2 से 3 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। किन्तु विपक्षीगण संख्या 2 से 3 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 10.1.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 व आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 जा0दी0 का दिनांक 10.1.2018 को प्रस्तुत किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 16.2.2018 को स्वीकार किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ, अतः

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

है तथा मोकें पर पत्थर गढी के सीमा चिन्ह कायम नही होने से विपक्षीगण मौके पर

Scanned by CamScanner

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत नर किया जाकर ग्राम बतकों का खेडा पटवार हल्का दांथल, भू–अभिलेख निरीक्षक दांथल तहसील ला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1458 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 1 रकबा 7 16 बिस्वा भूमि की सीमा की पुख्ता जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, दांथल को 800/–रूपये कमिश्नर फीस कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये ोलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(चिन्मयी गोपाल)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 6.3.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner